थाना उझानी पुलिस द्वारा लड़की को बहाल फुसालकर भगा ले जाकर उसके साथ गलत काम करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री प्रवीण कुमार चौहान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री शक्ति सिंह क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण तथा हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक उझानी के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा अभियान के अन्तर्गत आज दिनाँक 16.07.2022 को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 414 /22 धारा 363/376 IPC व 3/4 पोक्सो एक्ट में नामित अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र सोरन नि0 ग्राम गढिया गंगवरान थाना कादरचौक बदायूँ को सहसवान तिराहे से गिरफ्तार किया गया । जिसे माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्त विजेन्द्र पुत्र सोरन नि0 ग्राम गढिया गंगवरान थाना कादरचौक बदायूँ द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को दिनांक 24.06.2022 को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था । जिसके संबंध में वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 414/22 धारा– 363 IPC बनाम विजेन्द्र पुत्र सोरन नि0 ग्राम गढिया गंगवरान थाना कादरचौक बदायूँ पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

विजेन्द्र पुत्र सोरन नि0 ग्राम गढिया गंगवरान थाना कादरचौक बदायूँ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. श्री हरपाल सिंह थाना उझानी, बदायूँ ।
2. का. 262 प्रमोद कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।